पत्रांक 10/न 4-47/10 06

बिहार सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

प्रेषक,

ओंकार नाथ आर्य
सरकार के उप सचिव

सेवा मे,

अध्यक्ष
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेंटर,
नई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक 04/01/11

विषय : एच0 आर0 इम्पीरियल पब्लिक स्कूल, हथुआ निकेतन, डाकबंगला रोड, छपरा को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध मे निदेशानुसार सूचित करना है कि सरकारी अधिसूचना संख्या-238 दिनांक-03.04.2006 के आलोक मे जिला शिक्षा पदाधिकारी, छपरा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु गठित विभागीय समिति द्वारा दी गई तथा एच0 आर0 इम्पीरियल पब्लिक स्कूल, हथुआ निकेतन, डाकबंगला रोड, छपरा को सी0 बी0 एस0 ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

समिति की अनुशंसा के आलोक मे समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत है :-

1. यह विद्यालय Sagyan Educational-Research Charitable Trust के अधीन संचालित है। इस ट्रस्ट मे किसी एक व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं है। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का ब्यौरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है।

2. विद्यालय प्रबंधक द्वारा किसी अन्य निबंधित सोसाइटी/न्यास के फेन्चाईजी अथवा किसी विद्यालय के ब्रांड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।

3. विद्यालय जो वर्तमान मे अपने नवनिर्मित भवन मे संचालित है, जहां 2 एकड़ भूमि 30 वर्षों की लीज पर उपलब्ध है। विद्यालय को पर्याप्त उपस्कर पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला भी उपलब्ध है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से स्थल निरीक्षण कर सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधाएँ बोर्ड के मानक के अनुरूप है।

4. विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति समाचार पत्रों मे विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया के द्वारा किया गया है, परन्तु ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि नियुक्ति मे विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पारदर्शिता बरती गई हो। विद्यालय मे 17 शिक्षक है। सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डो के अनुरूप है।

5. विद्यालय मे हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।

6. विद्यालय द्वारा निर्धारित, शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई करे इसे सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।

7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या-238, दिनांक 03.04.2006 मे उल्लेखित अपेक्षित शर्ते स्वीकार है।

A Kumar
Principal
HR Imperial Public School
Dak Bunglow Road, Chapra

Manager
HR Imperial Public School
Dak Bunglow Road, Chapra

PTO

अपेक्षित शर्तों के अनुसार :–

(i) विद्यालय मे क्षमता का 25 प्रतिशत नामांकन पड़ोस मे निवास करने वाले परिवार के बच्चों का नि: शुल्क किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नही लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी मे अनुसूचित जाति, अनु0 जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकाएं तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000/– रूपया प्रतिवर्ष होने को रखा गया है।

(ii) विद्यालय मे नर्सरी/के0 जी0 अथवा प्राथमिक कक्षा मे नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नही लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।

(iii) नर्सरी/के0जी0 तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चा का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा के नामांकन हेतु अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर तक रहेगी।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नही होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8 यद्यपि कि विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारी के द्वारा किया गया है, फिर भी सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।

9 साथ ही बोर्ड का यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाईट मे करना होगा। शर्तों के उल्लंघन की स्थिति मे अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बद्धन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

10 विभागीय पत्रांक–46, दिनांक 18.01.2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड नही दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11. विद्यालय बिहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

12 उपरोक्त तथ्यों के आलोक मे तथा वर्णित शर्तों के आधार पर एच0 आर0 इम्पीरियल पब्लिक स्कूल, हथुआ निकेतन, डाकबंगला रोड, छपरा को सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दी जाती है ।

अनुलग्नक :– जिला शिक्षा पदाधिकारी छपरा का जाँच प्रतिवेदन संलग्न।

विश्वासभाजन

ह0/–
(ओंकार नाथ आर्य)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 06 दिनांक 04/01/11

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी छपरा को उनके पत्रांक 1180 दिनांक 24.12.2010 के प्रसंग मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4.1.11

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 06 दिनांक 04/01/11

प्रतिलिपि : प्राचार्य, एच0 आर0 इम्पीरियल पब्लिक स्कूल, हथुआ निकेतन, डाकबंगला रोड, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4.1.11

सरकार के उप सचिव

AKumar
Principal
HR Imperial Public School
Dak Bunglow Road, Chapra

Manager
HR Imperial Public School
Dak Bunglow Road, Chapra